उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 730 /3-2 बजट (NPV)/24-25 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–795/3–5 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदर्भित पत्र से वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत ₹ 785.11 लाख की धनराशि विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (NPV) मद के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु **भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न–1, संलग्न–2, संलग्न–3, संलग्न–4 एवं संलग्न–5** के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (*कैम्पा वेबसाईड में अपलोड*) व शासकीय पत्रांक–1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।

2. **अन्य नियम व शर्तें:–**

   I. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

   II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरुप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अलिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरुप होंगे।

   III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

   IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों

के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

v. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।

vi. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

vii. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

viii. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

ix. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

x. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

xi. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

xii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

xiii. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

xiv. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

xv. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

xvi. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

xvii. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 730 /3-2 बजट (NPV)/ 24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैम्पा योजना की "वन भूमि का निवल मूल्य" मद विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा की गई मांग व राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित के क्रम में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को **Centralized Modern Nursury** गतिविधि अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य–

(धनराशि लाख में)

S.No.	Name of Division	Centralized Modern Nursury	
		राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ए०पी०ओ०	वर्तमान आवंटन
		भौतिक लक्ष्य	
1	2	3	4
	Allotment		472.55
1	**PITHORAGARH DIVISION**	**Approved APO 2024-25** In Didihat Range Sandev Upgradation/ Modernization of nursery including fencing work, strengthening of risers green house net, mist chamber, generater, strengthening of pipeline, springklers , purchase fo germination tray etc,	75.00
2	**TARAI CENTRAL DIVISION**	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ के पत्रांक 1270/7–1 दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के अनुसार लक्ष्य– 1. पौधाशाला के क्षेत्रफल को समतल करना, पगडंडी अथवा कच्चे मार्ग का निर्माण करना, स्थाई नर्सरी बेड का निर्माण करना, वर्षाजल को संचय करने हेतु आर०डब्लू०एच० टेंक का निर्माण करना, वर्षा जल संचय हेतु जल निकासी प्रणाली को बिछाना, सिंचाई व्यवस्था हेतु फौब्बारा प्रणाली की स्थापना, श्रमिकों के लिए शेड की स्थापना (टॉयलैट की सुविधा के साथ), अंकुरण गृह की स्थापना, बीज भण्डार एवं संशोधन गृह का निर्माण, Singnage की स्थापना, घास की प्रायोगिक नर्सरी की स्थापना	80.00
	Total KUMAON		155.00
3	**RUDRAPRAYAG DIVISION**	**Approved APO 2024-25** Modernization of jammu nursery in Guptakshi unit including rasing of 64383 plants construction of platform/seed beds, access pathway repair, Purchase fo root trainers, repair of vermi compost pit, water supply fecility repair & creation, shade net house repair, mist chamber repair, toilet construction, protection arrangement, fencing etc,	30.50
4	**LANSDOWNE DIVISION**	**Approverd APO 2024-25** 1- Maintenace of 1 year old 250000 Plants raised last year in centralized nursery saneah upgraded last year-Rs. 37.50 Lakh 2- Maintenace of 1 year old 150000 Plants raised last year in centralized nursery Farsula upgraded last year Rs. 22.49 Lakh	60.00
5	**DEHRADUN DIVISION**	मुख्य वन संरक्षक, गढवाल का पत्रांक 496/3–17 दिनांक 12.09.2024 एवं वन संरक्षक, शिवालिक का पत्रांक 1362/3–3 दिनांक 15.11.2024 के अनुसार लक्ष्य– आशारोडी रेंज कडवापानी पौधालय के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु 1.00 लाख पौध तैयार करना, बीज एकत्रीकरण/क्रय करने का व्यय, पानी की व्यवस्था हेतु सी०सी० चैम्बर निर्माण, पानी के भण्डारण हेतु 1 लाख ली० क्षमता का पानी का अंडर ग्राउण्ड टैंक निर्माण, पौधालय के संपूर्ण क्षेत्र में मिटटी भरान कर तल को विल्सन वन मार्ग के सतह तक लाना, पैधालय का गेट बनाना, पौधालय के अंदर मुख्य बटिया 3.60 मी० चौड़ी इएटर लौंकिंग, गेटवाल स्प्रिंकलर फिटिंग, अंदर शौचालय का निर्माण, अंदर श्रमिक हट, अंदर बीज गोदाम, चारों ओर चाहरदीवारी, टयूबलर स्ट्रक्चर सैड नेट हाउस, अंदर मिस्ट चेम्बर, पौधालय हेतु विद्युत कनेक्शन	80.00
	Total GARHWAL		170.50
6	**KEDARNATH DIVISION**	**1- Approved APO 2024-25** Hightech Nursery in tangsa 1 Number-67.05 Lakh 2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पत्रांक 1191/3–6 दिनांक 20.11.2024 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार कण्डारीखोड पौधालय में कराये जाने वाले कार्यो के लक्ष्य– पौधालय में चैनलिंग फेन्सिग–390 मी०, गेट निमार्ण–1 सं०, खेत खुदान तथा पुस्तानिर्माण कार्य–0.16 है०, साईन बोर्ड निर्माण व आर०एफ०आई०डी०, निरीक्षण बटिया निर्माण/पहुच मार्ग निर्माण/पहुच मार्ग मरम्मत कार्य–700 मी०, ग्रीड शेड–1, मिक्स चैम्बर–1, पानी हेतु टेंक निर्माण कार्य–01 सं०, 50 हजार पौध तैयार करना, नर्सरी के अंदर पानी की व्यवस्था करना, स्प्रिंगकलर प्लास्टिक पाईप आदि कार्य–80 लाख	147.05
	Total in WILDLIFE DIVISIONS		147.05
	Grand Total		472.55

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैम्पा योजना की "वन भूमि का निवल मूल्य" मद विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा की गई मांग व राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित के क्रम में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को **Concurrent Monitoring and Evaluation** गतिविधि अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य–

(धनराशि लाख में)

S.No.	Name of Division	Concurrent Monitoring and Evaluation	
		राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ए0पी0ओ0	वर्तमान आवंटन
		भौतिक (है0)	
1	2	3	4
1	**RAJAJI NATIONAL PARK**	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पत्रांक 1039/3–6 दिनांक 29–10–2024 के अनुसार बाघों की धारण क्षमता के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु।	10.00
2	**CCF IT Cell**	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकिरण के पत्रांक 1/83101/2024 दिनांक 25-05-2024 के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा से सम्बन्धित कार्यो के मूल्यांकन हेतु निम्न कार्यो हेतु Hiring of vehicles, fielsd work expences, procurement of two drones, field equipment, hiring of additional manpower, hiring of professional servies, cocumentation and report writing and contingency expenses	40.00
	Grand Total		50.00

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैम्पा योजना की "वन भूमि का निवल मूल्य" मद विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा की गई मांग व राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित के क्रम में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को **Public Awareness publicity and extension** गतिविधि अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य–

(धनराशि लाख में)

S.No.	Name of Division	Public Awareness publicity and extension	
		राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ए0पी0ओ0	वर्तमान आवंटन
		भौतिक (है0)	
1	2	3	4
	Allotment		**43.16**
1	**CCF Eco- torism**	विभागीय कार्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों, अभिनव कार्यों, जन उपयोगी योजनाओ/कार्यक्रमों आदि सोशल मीडिया में प्रचार–प्रसार, लघु फिल्म, डोक्यूमेंट्री, रेडियोकैंपेन, समाचार पत्रों, न्यूट पोर्टल, पल पत्रिकाओं, स्मारिकाओं आदि में विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार साइनेज, प्रकाशन–कॉफीटेबल बुक, ब्रोशर, बुकलेट, ईवेन्टस–बर्ड फेस्टिवल, बर्ड वॉचिक कैम्पा आदि कार्य किये जायेगें। (मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म एवं प्रचार–प्रसार के पत्रांक 199/3–2 दिनांक 08–2024 की गई मांग)	35.40
2	**CCF Bhagirathi Circle**	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 963/3–2 दिनांक 14–11–2024 से बुग्यालों की वर्तमान स्थिति की दृष्टिगत बुग्यालों के एसेसमेन्ट करते हुये उनके संरक्षण एवं संवद्ध के मध्येजर दूरगामी रणनीति बनाये जाने हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ Collaboration हेतु कराये जाने वाले कार्य।	7.76
	Grand Total		43.16

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संलग्नक–4

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैम्पा योजना की "वन भूमि का निवल मूल्य" मद विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा की गई मांग व राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित के क्रम में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को **Strengthening of Forestry Training Institure (FTA Haldwani) and for other training centres** गतिविधि अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य–

(धनराशि लाख में)

S.No.	Name of Division	Strengthening of Forestry Training Institure (FTA Haldwani) and for other training centres	
		राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ए0पी0ओ0 भौतिक (है0)	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4
	Allotment		**100.00**
1	**ALMORA CS DIVISION**	प्राथमिक वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र जैंती अल्मोडा मे 1–खेल का मैदान के एक ओर भूस्खनल रेकने हेतु रिर्टनिंग दीवाल का निर्माण कार्य 2– शैचालय एवं स्नानागार के पीछे रिर्टनिंग दीवाल निर्माण कार्य। 3– खेल मैदान के चारो ओर सुरक्षा हेतु जाली लगाना । 4– केन्द्र हेतु सैनटैक्स टंकी, इन्वेटर, बैटरी कम्प्यूटर, प्रिन्टर, गीजर, सफाई हेतु अन्य आवश्यक सामग्री क्रय। (प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 2004/3–19 दिनांक 28–11–2024)	15.00
	Total KUMAON	0.00	15.00
13	**CHAKRATA DIVISION**	वन आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र, रामपुरमण्डी में प्रशासनिक भवन मरम्मत एवं मीटिंग हॉल, छात्रावास भोजनालय मरम्मत, अनुदेशक आवास मरम्मत, चौकीदार आवास मरम्मत, गेट पर चौकीदार केबिन मरम्मत, वन रक्षक व वन दरोगा आवास मरम्मत से सम्बन्धित कार्य। (मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के पत्रांक 959/3–17 दिनांक 23–11–2024)	15.00
	Total GARHWAL	0.00	15.00
16	**CORBETT TIGER RESERVE**	Corbett wildlife training centre kalagarh Maintenance work in training istitures's main building, training Institute's Director residence maintenance, Elephand Proof wall, Gym Equipment, procurement of computers, projector, study chairs, generator and tabletennis tables फील्ड डायरेक्टर, कार्बेट टाइगर रिजर्व के पत्रांक 952/3–2 दिनांक 26–10–2024	15.00
	Total in WILDLIFE DIVISIONS	0.00	15.00
17	**CCF FORESTRY TRAINING ACADEMY**	स्वीकृत ए0पी0ओ0 के सापेक्ष Training Equipment and Services (compas, GPS, ranger finder haga Altimeter, abney Level, Ravi altimeter, prismatic compass with satand survey chain, ranging rod, drone, binoculars, camera traps, net catch pole, fire blower, chain saw cutter, fire rek and helment, for conference room (Smart Screen, video camera, sound speakers, air conditioner, and mike, collar mike, laptop, chairs decoration items, computer, printer multifunctional Scanner)	55.00
	Grand Total		100.00

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संलग्नक–5

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैम्पा योजना की "वन भूमि का निवल मूल्य" मद विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा की गई मांग व राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित के क्रम में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को **Construction, upgradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest areas, fire line watch towers, check posts and timber posts** गतिविधि अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य–

(धनराशि लाख में)

S.No.	Name of Division	Construction, upgradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest areas, fire line watch towers, check posts and timber posts	
		राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ए0पी0ओ0 भौतिक (किमी0)	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4
	Allotment		**120.00**
1	**ALMORA CS DIVISION**	1. खाली स्टेट से दलाड व रिसाल तक पैदल बटिया मे 8 किमी0 मरम्मत कार्य –रू0 5.35 लाख 2. बिन्सर से धौलछीना तक पैदल बटिया मार्ग मे 6.578 किमी तक मरम्मत कार्य–रू0 3 लाख 3. बिन्सर से गोनाप तक पैदल बटिया मार्ग मे 4 किमी तक मरम्मत कार्य– रू0 4 लाख **(उक्त भौतिक लक्ष्य मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, के मांग पत्र 1188/7–1 दिनांक 20.11.24 के अनुसार आवंटित हैं)**	12.35
2	**TARAI EAST DIVISION**	गौलाढाग मैदानी वन मोटर मार्ग में 5 किमी0 तक विभागीय मरम्मत कार्य **(उक्त भौतिक लक्ष्य मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, के मांग पत्र 1188/7–1 दिनांक 20.11.24 के अनुसार आवंटित हैं)**	2.50
3	**TARAI WEST DIVISION**	जोगीपुरा से ज्वालावन वन मोटर मार्ग में 10 किमी विभागीय मरम्मत कार्य **(उक्त भौतिक लक्ष्य मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, के मांग पत्र 1188/7–1 दिनांक 20.11.24 के अनुसार आवंटित हैं)**	5.00
4	**TARAI CENTRAL DIVISION**	निहाल गेट से गदगदिया चौराहा तक 9 किमी वन मोटर मार्ग में विभागीय मरम्मत कार्य (उक्त भौतिक लक्ष्य मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, के मांग पत्र 1188/7–1 दिनांक 20.11.24 के अनुसार आवंटित हैं)	4.50
5	**HALDWANI DIVISION**	1. छीनी चौकी से कलौनिया नाले तक वार्षिक 2.50 किमी0 वन मोटर मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य–रू0 1.25 लाख 2. हुडडी नदी से तराई पूर्वी वन प्रभाग की सीमा तक 0.80 किमी वन मोटर मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य–रू0 0.40 लाख 3. चेला चौराह से हैला तक 2.50 किमी वन मोटर मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य– रू0 1.25 लाख **(उक्त भौतिक लक्ष्य मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, के मांग पत्र 1188/7–1 दिनांक 20.11.24 के अनुसार आवंटित हैं)**	2.90
6	**RAMNAGAR DIVISION**		2.75
	Total KUMAON		30.00
7	**NARENDRA NAGAR DIVISION**	1. शिवपुरी राजि के अंतर्गत कुसरैला से बखरोटी–ट्रैक रूट का 300 मी0 तक सुदृढ़ीकरण कार्य व 210 मीटर सुरक्षा दीवार का निर्माण– रू0 17.00 लाख 2. नरेन्द्रनगर राजि अन्तर्गत बेमुण्डा से उदयखण्डागांव तक 4 किमी0 तक ट्रेक रूट का सुदृढीकरण कार्य व ट्रेक रेलिंग निर्माण तथा 06 सं0 ट्रेव रूट में कूडादान, साइनेज, बेंच आदि की स्थापना कार्य–रू0 16.22 लाख (मुख्य वन संरक्षक, गढवाल के पत्रांक 996/3–17 दिनांक 27 नवम्बर, 2024)	33.22
8	**TEHRI DIVISION**	जाखाबागी से तल्य वन नामे तोक तक 12 किमी0 सम्पर्क मार्ग में मरम्मत कार्य (प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग का पत्रांक 675/3–2 दिनांक 03–10–2024)	10.98
9	**DEHRADUN DIVISION**	1. पिटर्सन मोटर मार्ग में 14 किमी0 मरम्मत कार्य–रू0 3.00 लाख 2. विलसन मोटर मार्ग में 11.40 किमी0 में मरम्मत कार्य– रू0 2.80 लाख मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, का पत्रांक 880/3–17 दिनांक 16.11.24 से	5.80
	Total GARHWAL		50.00

S.No.	Name of Division	Construction, upgradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest areas, fire line watch towers, check posts and timber posts	
		राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ए0पी0ओ0 भौतिक (किमी0)	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4
	Allotment		**120.00**
10	**RAJAJI NATIONAL PARK**	स्मिथिज वन मोटरमार्ग–10 किमी, रामगढ़आशरोडी–6किमी0, कांसरों बेराबाडा घाटा–5 किमी., जामुनी–6 किमी0, डॉंडा मचान–8 किमी0, सत्यानारायण से कांसरो– 4किमी0, विदासनी चौकी से त्यूडूगाड तक–2.5 किमी0, लक्षमणझूला बैरीयर से गुणापानी तक–5 किमी0, गुणापानी से एनीकट तक– 8 किमी0, पर्यटक गेट से घमेरा पुलिया–2 किमी0, घमेरा पुलिया से कसाण चौकी तक–6 किमी0, मुंडाल बैड से मोटासाल तक–6 किमी0, मोटासाल से देवल घाटी तक–2 किमी0, लूनी एंटीपौचिंग से चोर होते हुए शीशम पड़ाव तक–4 किमी0, देवल घाटी से मिठठावाली तिराहा तक– 6किमी0, रवासन मुख्यालय से मिठठावली तिराहा तक–6 किमी0, सूख पटेरबाडा से चिल्लावाली तक–4 किमी0, चिल्लावली चौकी से बनियावाली चौकी तक–5किमी0, लालवाला वॉच टावर प्रथम से बनियावाल लक्कडकोट मिलान तक–4.5 किमी0, बाम से रसूलपुर–5 किमी0, घलखण्ड परिसर से मचार/एनिकट–2 किमी0, खारा हरिद्वारी से बकली गंजरवन–6किमी0, खारा हरिद्वारी से हजारागोला मार्ग–5 किमी0, बहेडा मचान से हजारा गोला मार्ग–1.1 किमी0, घलखण्ड बीट क0सं0–1 में वन विश्राम भवन मार्ग मरम्मत–13 किमी0, वन विश्राम भवन घलखण्ड लिंग रोड के सुरक्षा हेतु रपर निर्माण–06 सं0, टीरा चौकी–4 किमी0, सेन्धली एंटीपोचिंग चौकी वन मोटर मार्ग–5 किमी0, सुरेश्वरी देवी मन्दिर मार्ग–2 किमी0, एप्रेच मार्ग–1 किमी0, छिडंक लिंग मार्ग–2.2 किमी0, व हरनौला जमीदारा मिलान मार्ग–3 किमी अर्थात कुल 155.30 किमी0 वन मोटर मार्ग में मरम्मत कार्य किया जाना है। (प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव का पत्रांक 1143/3–6 दिनांक 14.11.24 से प्राप्त मांग)	40.00
	Total in WILDLIFE DIVISIONS		40.00
	Grand Total		120.00

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संख्या नि0–795/3–5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक:17 दिसम्बर, 2024.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2406–04–103–03–04 –वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या 771/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 09 मई,2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270004 दिनांक 09.05.2024 आवंटित बजट ₹2,00,00,000/–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

2–शासनादेश संख्या 797/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 15 मई,2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270005 दिनांक 15.05.2024 आवंटित बजट ₹3,24,58,000/–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

3–शासनादेश संख्या 958/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 27 जून,2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24060270006 दिनांक 27.06.2024 आवंटित बजट ₹30,09,00,000/–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

4–शासनादेश संख्या 1235/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 10 जुलाई,2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24070270006 दिनांक 10.07.2024 आवंटित बजट ₹16,48,00,000/– (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

5–शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270010 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹15,18,23,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

5–शासनादेश संख्या 1573/X-2-2024-12(07)2021 (E-74356) दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24100270006 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹1,33,00,19,00–(छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04– वन भूमि का नियल वर्तमान मूल्य" हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 2,00,00,00,000/–(₹ दो अरब मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹1,50,74,51,150/–(₹ एक अरब पचास करोड़ चौहत्तर लाख इक्यावन हजार एक सौ पचास मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 7,85,71,000/– (₹ सात करोड़ पचासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।

–/2–

4. आवंटित धनराशि व्यय / आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण / वाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 17-12-2024 23:59:45
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 795 / 3–5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊँ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों / निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या–1573 /X–2–2024–12(07)2021 (E-74356)

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग की अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत ए0पी0ओ0 के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू0 209.4575 करोड़ अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–NA-15/1/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या–NA-15/1/2020-NA दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या–NA-15/1/2020-NA दिनांक 01.07.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत की गयी वार्षिक कार्ययोजना के कम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–नि0 235/3–5 (कैम्पा–सी.ए.) दिनांक 20.08.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक/ए0पी0ओ0 के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त कुल अवशेष धनराशि रू0 209.4575 करोड़ (रू0 दो अरब नौ करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए0पी0ओ0	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
अनुदान संख्या–27			
2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी			

04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103–राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा				
03–01– क्षतिपूरक वनीकरण योजना 42–अन्य विभागीय व्यय		5012.00	2203.08	3149.00
03–02– जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान 42–अन्य विभागीय व्यय		2957.00	2451.37	972.00
03–03– समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना 42–अन्य विभागीय व्यय		1000.00	5.47	994.53
03–04– वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य 42–अन्य विभागीय व्यय		20758.00	6699.81	13300.19
03–05– कैम्पा से अर्जित ब्याज	05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	573.00	250	250.00
	56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1048.00	–	1048.00
03–06– अन्य कार्य 42–अन्य विभागीय व्यय		2189.00	567.97	1232.03
योगः–		33537.00	12197.48	20945.75

(रू0 दो अरब नौ करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित डिवीजन को 02 सप्ताह के अन्दर आवंटित कर दी जाय। 02 सप्ताह के अन्दर धनराशि आवंटन न करने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

2. धनराशि के व्यय हेतु The Compensatory Afforestation Fund Rule's 2018, कैम्पा के नियमों/अधिनियम तथा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 19.04.2024 एवं 24.05.2024 में दिये गये प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

e No. FOR2-12/1/29/2024-X-2-Forest Department (Computer No. 74356)